संख्या– 1231 /XIX/बजट/05–60/खाद्य/2005

प्रेषक,

एम0सी0उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग। देहरादून: दिनांक: 30 अगस्त, 2005

विषय: वित्तीय वर्ष 2005–06 में अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक संख्या–2408–के अन्तर्गत अवचनबद्ध मदों में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या–717/XIX/बजट/05–60/ खाद्य/2005, दिनांक–02 मई, 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक–2408–के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में निम्नांकित अवचनबद्ध मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित शर्तों के अधीन रूपये 6,00,000.00 मात्र (रूपये छः लाख मात्र) की धनराशि को आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: –

अनुदान संख्या–25	(धनराशि हजार रू0 में) आयोजनेत्तर
लेखाशीर्षक–2408–खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण	
01–खाद्य–आयोजनेत्तर	
001–निदेशन तथा प्रशासन	
03–अधिष्ठान व्यय (खाद्य एवं पूर्ति)–00	
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200
16–व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50
18–प्रकाशन	50
44–प्रशिक्षण व्यय	100
45–अवकाश यात्रा व्यय	200
योग (रूपये छः लाख मात्र)	600

1– वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों के कियान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

2– स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

.....2/–

C-676

3– यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय नहीं किया जायेगा जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर ली जाय।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें, कि धनराशियों को परिक्षिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय तथा व्यय का विवरण यथा समय प्रत्येक माह बी0एम–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

5– समस्त चालू निर्माण कार्य, मशीनों, उपकरण एवं संयंत्र तथा वाहन आदि के क्रय तथा अवचन मदों पर धनराशि के व्यय हेतु शासन की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

6– यह सुनिश्चित किया जाय कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

7– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2408–खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण–01–खाद्य–आयोजनेत्तर–001 –निदेशन तथा प्रशासन–03–अधिष्ठान व्यय (खाद्य एवं पूर्ति)–00 की प्रस्तर–1 में अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अ0प0सं0–1398/वि0अनु0–3/2005 दिनांक 25/8/2005 में दी गई सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(एम0सी0उप्रेती)
अपर सचिव।

संख्या– 1231 (1)/XIX/बजट/05–60/खाद्य/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
2– आयुक्त कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल।
3– वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5– वरिष्ठ सम्भागीय वित्त अधिकारी, खाद्य, गढ़वाल/कुमायूँ संभाग, देहरादून/हल्द्वानी।
6– सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूँ संभाग, देहरादून/हल्द्वानी।
7– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल देहरादून।
8– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
9– समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तरांचल।
10– वित्त अनुभाग–3
11– समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0सी0उप्रेती)
अपर सचिव।